

2021/507

# फॉर्म अहकाम

(नियम-13)


(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

पक्षीय सहायक कलेक्टर मुकाम डीडवाना  
 राम 510 मंगाराम वनाम दीपाराम 510 किशनराम  
 राजेश का 52,188 पता सं. 291/21

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

11/10/21

आज यह वाद वादी के प्रतिवादी के  
 विरुद्ध अ. / धारा 52, 188 पता  
 दर्ज हो प्रतिवादी के प्रतिवादी के  
 मिसाल दिनांक: 29/11/21 का पेश हो।



सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना

वक्तव्य उपर्युक्त  
 शिकायती सं. 22 से अर्जत वकील  
 की विज्ञप्ति में वे अर्जत-कार्य के पत्रावली  
 आज की तारीख केरवी में लेते हैं  
 जर्जल पत्र पेश किए। वकील वादी  
 ने No objection किया। वकील शरीर  
 सं. 22 ने जर्जल पत्र 07 11/11/21 को  
 जर्जल पत्र पेश किया। नवक वकील  
 वादी दिखाने गरी। वकील वादी ने  
 सीडी अर्जत की। अर्जत दार सुनी  
 गरी। वकील शिकायती ने अर्जत अर्जत  
 में निवेदन किया कि उक्त वाद के  
 अर्जत अर्जत से संबंधित सब काद  
 सं. 48/2009 अर्जत अर्जत पत्र  
 अर्जत अर्जत विचारणीय का लिकर  
 दिनांक 13/10/2021 को से अर्जत  
 है। उक्त वाद में वादी व उत्तर  
 अर्जत अर्जत की अर्जत अर्जत  
 अर्जत के अर्जत अर्जत की अर्जत  
 अर्जत है। अर्जत अर्जत अर्जत  
 अर्जत वाद लाने का अर्जत अर्जत


सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)



2/11/21

अधिकार नहीं है। दूर: वादी का वाद मध्यस्थता  
रकारेशन किया जाये।

उपरोक्त के लक्षण पर भ्रम तथा निष्कर्ष  
का अनुमान किया। इन्हीं तथ्यों के  
संबंधित एक वाद की जायागप से उक्त  
कार्य निर्धारित हो चुका है। ऐसी स्थिति  
में कहीं का वाद पुनः वही जायागप से  
कार्य किया जाना अधिक उचित नहीं होगा  
है। उक्त वाद पार 1) 192 से भी  
उत्तराधिकार है। दूर: जायत पत्र 072 1) 192  
के लक्षण से होने से स्वीकार किया जाय  
है। जायत पत्र स्वीकार होने से कार्य का  
वाद रकारेशन किया जाय। है। प्रमाण  
सामग्री सुमा एकर पाकेल पत्र है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)